रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 1978/ पौष 2, 1900
No. 243] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 1978/PAUSA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 96-आईटीसी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1978

विषय :—यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978 के अन्तर्गत यू० के० से आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें।

सं० 39/1/76-77 आईटीसी.—यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी करने के संबंध में लागू होने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 96 आईटीसी (पी एन)/78 दिनांक 23-12-78 के लिए परिशिष्ट।

यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978 के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें।

ए—सामान्य शर्तें

1. शीर्षक एवं कोड

आयात लाइसेंस का शीर्षक "यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978" होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आयात लाइसेंस पर कोड "एस/केके" भी होंगे।

2. आयात लाइसेंस के ब्यौरों की सूचना

आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस की फोटो प्रति के साथ आयात लाइसेंस के ब्यौरों अर्थात् उसकी पूरी संख्या एवं दिनांक, उसका मूल्य एवं उसके शीर्षक की सूचना आर्थिक कार्य विभाग (अनुभाग अधिकारी डब्ल्यू ई-2 अनुभाग) को भेजें। आयात लाइसेंस की फोटो प्रति के साथ सूचना की एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (सी० ए० ए० एवं ए०), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट), नई दिल्ली को भी प्रेषित की जानी चाहिए।

3. आयात लाइसेंस की वैधता

आयात लाइसेंस 24 (चौबीस) मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा। यह अवधि और आगे बढ़ाई जा सकती है यदि इसके लिए पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत किया जाता है।

4. (अ) प्रेषण

(क) आयात लाइसेंस के तहे किसी भी विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। लेकिन, यू० के० बैंक प्रभार सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किए जा सकते हैं।

4. (ब) भारतीय अभिकर्ता की कमीशन

(ख) भारतीय अभिकर्ता संबंधी कोई भी भुगतान भारत स्थित अभिकर्ताओं को भारतीय रुपये में ही किया जाना चाहिए। लेकिन, इस

प्रकार के भुगतान लाइसेंस के मूल्य के अंग होंगे और ये इसलिए, लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे ।

5. आदेश देने की अवधि

(क) पक्के आदेश लागत-बीमा-भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के चार (4) मास की अवधि के भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिए ।

5. आदेश देने की अवधि

(ख) यदि आदेश वैध कारणों से चार महीने के भीतर नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंस को लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के पास पांचवे महीने के दौरान जमा कर देना चाहिए और इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देर क्यों हुई और यह भी संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि आवश्यक हो, इसे भी बता देना चाहिए । इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर पात्रता के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 2 महीने की और अवधि वृद्धि की स्वीकृति दे सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 6 मास से अधिक की मांगी जाती है जो इस प्रकार के प्रस्ताव निरापवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 शाखा), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

टिप्पणी :—इस विषय में "पक्के आदेशों" का अर्थ है यू०के० संभरकों को दिए गए आदेश और आदेश देने की अवधि के भीतर संभरक से लिखित रूप में पुष्टिकरण ।

5. (ग) इसे ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आदेश देने का कार्य 4 महीने की अवधि या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई स्वीकृति अवधि जैसा भी मामला हो के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तब तक विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी साख पत्र की स्थापना करने या समतुल्य रुपया जमा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे (नीचे का खण्ड 4 देखें) ।

6. भुगतान

(क) जब आयात लाइसेंस की अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर सभी भुगतान पूरे कर दिए जाने चाहिए । अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान पर ही होनी चाहिए । किसी भी प्रकार की साख सुविधा की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

2. आदेशों/संविदाओं या अन्यथा रूप से सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातों का ध्यान रखना ।

7. माल का उद्गम

(क) जब आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि केवल यू०के० (जिसकी अभिव्यक्ति में चैनल आइलैण्ड एवं आइल ऑफ मैन शामिल हैं) संभरकों को दी जानी चाहिए । लाइसेंसधारी को उसी में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू०के० में उत्पादित अथवा निर्मित है या होंगे या रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों के मामले में अनुबन्ध-2 (बी) के रूप में संलग्न प्रपत्र पर यू०के० मूल के होने की घोषणा कर दी गई है ।

कार्य एवं सेवाएं

(ख) जब इस प्रकार के माल खरीदने से संबंधित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपर्युक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि ऐसे कार्य एवं सेवाएं साधारणतया यू०के० के निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी ।

ग(1) गैर यू०के० वस्तु का मामदण्ड

यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस सामान सामान्यतया यू०के० में अधिप्राप्त एवं उत्पादित अथवा निर्मित सामान एवं/अथवा माल के लिए वैध होंगे ।

(ग)(2) भारतीय आयातक को उसके अपने हित के लिए भी भली-भांति परामर्श दिया जाएगा कि वह यू०के० संभरकों से पहले ही इस बात का पता लगालें कि क्या प्रस्तावित आयातों में गैर यू०के० वस्तु है और यदि है तो उसकी प्रतिशतता क्या है । विशेष रूप से इस बात का पता लगाए बिना उसके किसी भी स्थिति में यू०के० संभरकों के साथ पक्के वायदे अथवा संविदा नहीं करनी चाहिए ।

(ग)(3) जब इस प्रकार की पूछताछ करने पर यह पता लग जाता है कि आयात किए जाने वाले प्रस्तावित माल में गैर यू०के० वस्तु हैं तो ऐसे मामले को इस बात की पुष्टिकरण के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-2 अनुभाग, नई दिल्ली को अवगत कराना चाहिए कि क्या आयातक को भावी यू०के० संभरक के साथ आदेश/संविदा के पूर्ण होने के बाद आगे कार्रवाई करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि विशेष मामलों में अकेली संविदा में माल के जहाज पर निशुल्क मूल्य की 20 प्रतिशत सीमा तक के गैर यू०के० वस्तु को यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978 के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए सहमति हो सकती है । बशर्ते कि गैर यू०के० वस्तु परिष्कृत उत्पादों का एक अभिन्न अंग है और आयात किए जाने वाले प्रस्तावित गैर-यू०के० मूल माल का परिष्कृत उत्पादों के लिए स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग नहीं किया जा सकता । इस प्रयोजन के लिए भारतीय आयातक को चाहिए कि वे निर्धारित प्रपत्र में [अनुबन्ध-2 या अनुबन्ध-2(ख) जो भी उपयुक्त हो] यू०के० संभरकों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर विशेष अनुमोदन के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को आवेदन करें ।

(घ) संविदा के अनुमोदन की व्यवस्था

संविदा में इस संबंध में एक वाक्यांश अलग से यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि संविदा इसके अधीन है और यह केवल यू०के० सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी ।

प्रलेखन एवं भुगतान प्रक्रिया

नीचे के खण्ड 3 एवं 5 में बताई गई आवश्यकताओं और नीचे के खण्ड 4 में निर्धारित की गई भुगतान प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें संविदा में उचित रूप से शामिल कर देना चाहिए ।

3. संविदा स्वीकृति

8. संविदाओं की सूचना तथा तत्संबंधी संशोधन

(क) यू०के० संभरकों को आदेश देने के तुरन्त बाद ही आयातकों को चाहिए कि वे संविदा की प्रतियां प्रशासकीय मंत्रालय एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें ।

(ख) भारत सरकार द्वारा संविदा अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर ही लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह विदेशी संभरकों को दिए गए प्रत्येक आदेश के संबंध में संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की चार प्रतियों (संलग्न अनुबन्ध-1 के रूप में) को यू०के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र की पांच प्रतियों [संलग्न अनुबन्ध-2 अथवा अनुबन्ध-2(बी) के रूप में जो भी उपयुक्त हो] के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

टिप्पणी 6—चूंकि कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविदा यू०के० सरकार से विधिवत् अनुमोदित नहीं कर ली जाती है, इसलिए लाइसेंसधारी को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि संविदा/संविदा अधिसूचना की

प्रतियां संभरक के संविदा प्रमाण-पत्र के साथ शीघ्रातिशीघ्र ऊपर बताए गए के अनुसार वित्त मंत्रालय (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक) को भेज दी जाती है ।

9. संविदा अनुमोदन

वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक तथा यू० के० अनुदान का नाम भलीभांति लिख दिया गया है ।

(ख) सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक वित्त मंत्रालय, मुख्य लेखाधिकारी, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (सी०ए० ओ०, लंदन) के माध्यम से यू० के० अनुदान के अन्तर्गत वित्तपुक्त की जाने वाली संविदा के अन्तर्गत भुगतान के सम्बन्ध में यू० के० सरकार का अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रलेखों के एक सेट को फाइल करने के लिए व्यवस्था करेगा । यू० के० सरकार द्वारा यह निर्णय को जान लेने के यथाशीघ्र बाद ही यू० के० संभरकों और साथ ही साथ लाइसेंसधारी को उपर्युक्त निर्णय के संबंध में मुख्य लेखाधिकारी, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वित्त मंत्रालय को परामर्श देते हुए सीधे ही अवगत कराया जाएगा ।

10. संविदा के लिए संशोधन

यदि किसी संविदा (उस संविदा के संबंध में जिसमें यू० के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है या प्राप्त करनी है) में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि से अधिक धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करे और इसके बाद शीघ्र अति शीघ्र तत्संबंधी अनुपूरक अथवा संशोधित दस्तावेजों और संविदा के संशोधनों तथा संशोधित संविदा प्रमाण पत्रों की प्रतियों को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेजें ताकि वे इसकी सूचना यू० के० सरकार को देने और उनका अनुमोदन प्राप्त करने में समर्थ हो सकें । संविदा/आदेश में संशोधन के लिए यू० के० सरकार से जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होता है, तो लाइसेंसधारी और वित्त मंत्रालय को सी० ए० ओ० लंदन को ठीक उसी विधि से जैसे मूल संविदा के लिए है, सूचित कर दिया जाएगा ।

11. जब संविदा भारतीय अभिकर्ता के साथ होता है

यदि विदेशी संभरक के भारतीय अभिकर्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० सम्भरक के नाम का संकेत होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल यू० के० अनुदान के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा । ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियां जो यू० के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा की गई है, यदि इस प्रकार की पृथक संविदाएं हों) भेज दिया जाना चाहिए ।

4. यू० के० संभरकों के लिए भुगतान साखपत्र प्रक्रिया

12. विशेष भुगतान प्रक्रिया

सामान्य रूप से लागू होने वाली भुगतान प्रक्रिया नीचे निर्धारित है । विशेष मामलों में एक भिन्न भुगतान प्रक्रिया वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की जा सकती है और उस स्थिति में आयात लाइसेंस उस विशेष प्रक्रिया के अधीन जारी किए जाएंगे ।

13. प्राधिकार पत्र के लिए आवेदनपत्र

सी० ए० ओ० लंदन से संविदा अनुमोदन के संबंध में सूचना की प्राप्ति के बाद (देखिए उपर्युक्त खण्ड-3) लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह यू० के० संभरकों के नाम में यू० के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले किसी भी एक प्राधिकृत बैंक के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को आवेदन करें । प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र अनुबन्ध-3 में दिए गए के अनुसार होना चाहिए और उसके साथ भारत में विदेशी मुद्रा विनियम में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी (अनुबन्ध-4 में दिए गए के अनुसार) भी संलग्न की जानी चाहिए । प्राधिकरण पत्र के लिए प्रथम आवेदन-पत्र के साथ आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भेजी जानी चाहिए ।

14. बैंक गारंटी

(क) बैंक गारंटी की धनराशि प्रस्तावित प्राधिकार पत्र में स्टर्लिंग मूल्य के समतुल्य रुपए से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ख) समतुल्य रुपए के लिए लागू की जाने वाली मुद्रा विनिमय की दर की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी(पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की जाने वाली अन्य सार्वजनिक सूचना में दिए गए फार्मूले के आधार पर तथा विदेशी मुद्रा के लेन-देन में प्राधिकृत व्यापारियों के लिए समय-समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्र में यथा अधिसूचित की गई मिश्रित दर के हिसाब से की जाएगी ।

टिप्पणी—सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं से बैंक गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी शाखा (जिसमें इसके सहायक भी शामिल हैं) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसी भी शाखा के माध्यम से साखपत्र खोले जाएंगे ।

15. प्राधिकार पत्र

अगर आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ यू० के० सरकार के संविदा अनुमोदन संख्या को शामिल करते हुए अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा और इसकी एक प्रति आयातक को और अनुभाग अधिकारी डब्ल्यू ई-2 को भेजेगा । वित्त मंत्रालय सम्बद्ध यू० के० बैंक तथा मुख्य लेखा अधिकारी लंदन को भी उपर्युक्त रूप से परामर्श देगा । लेकिन यू० के० बैंक के लिए परामर्श, उनके प्राधिकरण पत्र की प्रति के साथ भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को भेज दिया जाएगा और उन्हें चाहिए कि वे साखपत्र खोलते समय इसे यू० के० बैंक को प्रेषित करें ।

16. प्राधिकरण पत्र की वैधता

(क) प्राधिकरण पत्र जारी होने की तिथि से एक मास की अवधि के लिए वैध होगा। इसलिए प्राधिकरण जारी होने की तिथि से एक मास के भीतर ही वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए साखपत्र खोल दिया जाना चाहिए । ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण समाप्त हो जाएगा।

साखपत्र :

(ख) साख पत्र में उक्त शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खण्ड 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, भुगतान के बाद दस्तावेजों के प्रेषण करने से संबंधित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए तथा इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रारम्भिक रूप में अपनी निधि में से भुगतान करने के पश्चात् यू० के० में सम्बद्ध बैंक उसकी प्रतिपूर्ति मुख्य लेखा अधिकारी, सी० ए० ओ०, लंदन के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, लंदन से प्राप्त करेगा । साख पत्र खोलने से संबंधित, भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेश अवश्य ही वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्णतया अनुरूप होने चाहिए । किसी भी हालत में इसमें असंगति नहीं होनी चाहिए ।

(ग) साख पत्र में स्पष्ट रूप से यू० के० अनुदान शीर्षक तथा यू० के० सरकार के साथ की गई संविदा अनुमोदन संख्या चिन्हित होनी चाहिए ।

(घ) भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक की जिम्मेदारी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यू० के० संभरकों द्वारा नीचे पैरा 17 में दिए गए दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं नोट कर ली गई हैं और उनका अनुपालन किया गया है, भारत में प्राधिकृत मुद्रा विनिमय बैंक, साख पत्र खोलते समय आयातक की ओर से साख पत्र में आवश्यक शर्तें समाविष्ट करने का ध्यान रखेगा।

5. प्रलेखन

17. यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० संभरक बैंक को नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है :—

(1) चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक (बीजक में आयातक का नाम और पता, संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण, सभी व्यापार छूटों को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत विवरण के आधार (जहाज पर निशुल्क, लागत तथा भाड़ा, लागत बीमा भाड़ा तथा जहाज तक निशुल्क) को प्रदर्शित करना चाहिए और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिनमें वितरण पर समुद्री या परिवहन बीमा शामिल हैं उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए।

(2) महासागर या चार्टर लदान बिल या वायुमार्ग बिल या डाक पार्सल की रसीद की एक प्रति (या फोटोस्टेट)। (लदान पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इनका भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो)।

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए के अनुसार भुगतान प्रमाण-पत्र की चार प्रतियां (ऐसी संविदाओं के संबंध में इनकी आवश्यकता नहीं जिनके लिए अनुबन्ध-2(बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण-पत्र (रसायनिक) की पूर्ति की गई है। इस कार्य के लिए संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय उसे भरने के लिए निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख-पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए।

प्रत्येक दस्तावेज में अनुदान शीर्षक आयात लाइसेंस का विस्तृत ब्यौरा बैंक और यदि संभव हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख-पत्र के प्राधिकरण के वितरण का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए।

18. दस्तावेज भेजना

यू० के० संभरकों को भुगतान हो जाने के बाद यू० के० व्यवसायी बैंक दस्तावेजों के मूल विनिमय सेट को तीव्र हवाई डाक द्वारा सम्बद्ध भारतीय विनिमय बैंक को भेजेगा।

19. यू० के० बैंक प्रभार

भारतीय विनिमय बैंक यू० के० सरकार को बैंक प्रभार प्रेषित करेगा और उसकी अदायगी आयातक से प्राप्त करेगा।

20. यू० के० बैंक प्रतिपूर्ति

इसके साथ ही साथ, यू० के० बैंक मुख्य लेखा अधिकारी, लंदन से अपने द्वारा संभरकों को चुकाई गई धनराशि की प्रतिपूर्ति का दावा करेगा और इस उद्देश्य के लिए संभरकों से प्राप्त बीजकों को तथा जहां आवश्यक हो, अनुबन्ध-5 के अनुसार भुगतान प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करेगा, मुख्य लेखा अधिकारी, लंदन, भारतीय स्टेट बैंक, लंदन के माध्यम से यू० के० बैंक को भुगतानों की व्यवस्था करेगा।

6. रुपया निक्षेप के लिए भारतीय बैंक के उत्तरदायित्व

21. आयातक से धन वापसी

यू० के० सम्बद्ध बैंक से जहाज लदान प्रलेखों के साथ भुगतान परामर्श की पावती के 7 दिनों के भीतर भारतीय सम्बद्ध आयातक से "मिश्रित विनिमय दर" [उपर्युक्त पैरा 14(ख) देखें] के हिसाब से आयात की कीमत को रुपये में वसूल करेगा और उस पर सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी(पी एन)/76 दिनांक 16-6-76 में अधिसूचित दर से सूद भी वसूल करेगा जो यू० के० बैंक द्वारा यू० के० संभरकों को दिए गए भुगतान की तारीख से लेकर निक्षेप किए गए समतुल्य रुपये की तारीख (दोनों दिनों सहित) तक के लिए होगा। इस संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई के एडी परिपत्र सं० 22 दिनांक 18-6-77 में निहित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

22. ऊपर उल्लिखित धनराशि भारतीय बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली में भारत सरकार के साखपत्र में निक्षेप किया जाना चाहिए या यदि यह संभव नहीं हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में उनके नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण किया जाना चाहिए। रुपया निक्षेप वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी(पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 में यथा परिशोधित राजकोष चालान प्रपत्र में किया जाना चाहिए। इसके बाद बीजक/पोतलदान प्रलेखों तथा उस विभाग का वह प्राधिकार जो सौदे से संबंधित है, उनके संदर्भों का उल्लेख कर तथा उनकी प्रतियां संलग्न कर निक्षेप करने का साक्ष्यांकन करते हुए राजकोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक, नई दिल्ली को भेज दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर भारतीय सम्बद्ध बैंक सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त खर्चों की ऐसी राशि को भी मांग करने के सात दिनों के भीतर जमा करने की व्यवस्था उसी तरीके से करेगा।

लाइसेंसधारी को यह भी चाहिए कि भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी(पी एन)/68 दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुबंध-2 में शामिल किए गए 'एस' प्रपत्र की दो प्रतियों को भरे और उसे उक्त सार्वजनिक सूचना में निहित प्रक्रिया के अनुसार रुपया जमा करने के लिए व्यवस्था करते समय अपने बैंक को प्रस्तुत करें।

23. रुपए जमा करने का लेखा शीर्षक लेखा अधिकारी

सूद प्रभार सहित वह राशि जो भारत सरकार के खाते में जमा की जानी है वह इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करवाई जाएगी :—

"के डिपाजिट्स एण्ड एडवान्सेज-843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फॉर परचेज एब्राड—डिपाजिट्स अन्डर यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978।"

और सहायक लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को लेखाधिकारी के रूप में दिखाया जाएगा जो इन साखपत्रों को समायोजित करेगा।

24. बैंक गारंटी की रिहाई

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी और साख प्राधिकरण की शर्तों के अन्तर्गत दायित्वों को पूरा किए जाने के बाद सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक (आयातक नहीं) सहायता लेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा, नई दिल्ली को बैंक गारंटी की रिहाई के लिए अनुबन्ध-1 में यथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।

7. आयात लाइसेंस के प्रयोग किए जाने के संबंध में रिपोर्ट

25. रिपोर्ट भेजना

संलग्न अनुबंध 7 में दिए गए प्रपत्र के रूप में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट त्रैमासिक के अनुवर्ती मास की 15 तारीख को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 अनुभाग) नई दिल्ली को तथा उसकी एक प्रति सहायता

लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, (आर्थिक कार्य विभाग), यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट), नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

8. विविध

26. यू के संभरकों से धन वापसी

लाइसेंसधारी द्वारा यदि किसी प्रकार की धनराशि यू०के० संभरक अथवा गारंटीकर्ता (बीमा कम्पनी आदि) से वापसी के रूप में जो बीमा दावे की व्यवस्था के रूप में अथवा अन्यथा रूप से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी राशि संभरक द्वारा यू०के० में सम्बद्ध बैंक को (जिसके द्वारा प्रारम्भ में संभरक को भुगतान किया गया था) । इन अनुदेशों के साथ वापस की जानी चाहिए कि वे ऐसी राशि को शीघ्र ही मुख्य लेखा अधिकारी, लंदन को अनुदान लेखे में साख के बदले वापस करें । इस प्रकार अनुदान लेखे में जमा करने के पश्चात्, आयातक को रुपए में समतुल्य राशि वापिस करने की व्यवस्था आयातक द्वारा दावे की रसीद प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी । यदि अनुदान के समाप्त होने के पश्चात् कोई वापसी प्राप्त होती है तो उसे संभरक द्वारा आयातक को सीधे ही अदा कर दिया जाएगा ।

27. धन वापसी की रिपोर्ट करना

जब भी इस प्रकार की वापसी होती है तो उसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति औद्योगिक विकास मंत्रालय, विदेशी मुद्रा अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए ।

28. संभरक को विशेष शर्तें एवं व्यवस्थाएं अधिसूचित करना

यदि आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष व्यवस्थाएं हों जो कि संभरक पर सौदों का पालन करने में प्रभाव डालें, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक (कों) को इनसे अवगत कराएं ।

29. विवाद

यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

30. भावष्य के लिए अनुदेश

लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा अनुदान करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेश या आदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

31. उल्लंघन या अतिक्रमण

उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

9. अनुबंधों की सूची

1. अनुबन्ध-1	संविदा की अधिसूचना
2. अनुबन्ध-2	संविदा प्रमाण-पत्र
3. अनुबन्ध-2(बी)	संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक)
4. अनुबन्ध-3	साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप
5. अनुबन्ध-4	बैंक गारंटी का प्रारूप
6. अनुबन्ध-5	भुगतान प्रमाण-पत्र
7. अनुबन्ध-6	बैंक गारंटी की रिहाई से संबंधित आवेदन-पत्र का प्रारूप
8. अनुबन्ध-7	आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रपत्र ।

अनुबन्ध-1

संविदा की अधिसूचना

यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978

सेवा में,

विदेशी सरकारों और प्रशासनों के लिए क्राउन एजेन्ट्स,
4, मिलबैंक,
लंदन, एस डब्ल्यू-1

परियोजना .....

संविदा की अधिसूचना .....

जिस संविदा के अधीन यह प्रस्तावित किया गया है कि उपर्युक्त अनुदान की शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाएंगे उसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

1. यू०के० संविदाओं का नाम और पता
2. संविदा की तिथि
3. भारतीय क्रेता का नाम
4. माल का संक्षिप्त विवरण और/या कार्य अथवा सेवाएं
5. संविदा का मूल्य
6. भुगतान की शर्तें

.....

भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षरित

दिनांक .....

अनुबन्ध-2

यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978
संविदा प्रमाण-पत्र

आयात लाइसेंस सं० .....

.....

दिनांक .....

1. संविदा की तिथि ..... 2. संविदा संख्या .....

3. उन मालों या सेवाओं का विवरण जिनकी आपूर्ति क्रेता को की जानी है .....

.....

(यदि कई मदों की आपूर्ति की जानी है तो एक विस्तृत सूची इस प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।)

4. क्रेता द्वारा/चुकाया जाने वाले कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा-भाड़ा, लागत-भाड़ा, या जहाज-पर्यन्त निशुल्क का उल्लेख करें। .....

यदि माल की आपूर्ति की जानी है तो निम्नलिखित खण्ड अवश्य पूरे किए जाने हैं
(यदि संविदाकर्ता केवल निर्यात करने वाला अभिकर्ता है तो अपेक्षित सूचना निर्माणकर्ता से प्राप्त करनी चाहिए ।)

5. क्रेता को संभरित किए जाने वाले माल का विवरण	मूल्य	यू० के० सीमाशुल्क/ व्यापार संकेत संख्या
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6. जो माल मूल रूप से यू०के० का नहीं है परन्तु संविदाकर्ता द्वारा विदेश से सीधा खरीदा गया है, उसके जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य

का अनुमानित प्रतिशत अर्थात् विनिर्माण के लिए उपयोग की गई आयातित कच्ची सामग्री या संघटकों का प्रतिशत ।

क. प्रतिशत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य .....

ख. मद का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण .....

7. विदेश से उद्भूत किसी कच्ची सामग्री या संघटक जैसे तांबा एस्बेस्टोज, कपास लकड़ी लुगदी आदि का उपयोग किया गया, परन्तु ये संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिए यू०के० में खरीदी गई है तो उनका उल्लेख कीजिए :—

क. प्रतिशत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य .....

ख. मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण .....

8. यदि सेवाओं की आपूर्ति की जानी है तो निम्नलिखित खण्ड को भी पूर्ण किया जाना चाहिए

निम्नलिखित द्वारा क्रेता के देश में किसी किए जाने वाले कार्य या सेवा के अनुमानित मूल्य का उल्लेख कीजिए

क. आपकी फर्म (साइट इंजीनियर के खर्च आदि) .....

ख. स्थानीय संविदाकर्ता .....

9. ऊपर के पैरा 6, 7 या 8 में उल्लिखित विदेशी मदों के उपयोग करने के कारण दीजिए जैसे यू०के० समरूप उपलब्ध नहीं था, उपकरण का अविभाज्य पुर्जा आदि .....

10. उपर्युक्त पैरा 6, 7 या 8 के सम्बन्ध में यथा आवश्यक अर्हता प्राप्त करने वाली अभ्युक्तियां .....

11. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं निम्नलिखित नाम वाले संविदाकर्ता द्वारा यू०के० में नियोजित हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे प्राधिकार प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा वचन लेता हूं कि जो माल या सेवाएं मूल रूप से यू०के० की नहीं है उनकी आपूर्ति उपर्युक्त पैरा 6, 7, 8 और 9 में निर्दिष्ट माल या सेवाओं को छोड़कर संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा का निष्पादन करने में नहीं की जाएगी ।

हस्ताक्षरित .....

ओहदा .....

संविदाकर्ता का नाम और पता .....

.....

.....

.....

दिनांक .....

टिप्पणी : इस घोषणा के लिए वि चैनल आइलैण्ड और आइल ऑफ मैन, यूनाइटिड किंगडम में शामिल है ।

संविदाकर्ताओं को यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब तक स्वीकृति अधिसूचित न कर दी जाए तब तक माल का विनिर्माण नहीं होना चाहिए ।

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

परियोजना का नाम या संख्या .....

भुगतान

तिथि धनराशि सं० आद्याक्षर

वचनबद्ध धनराशि प्रविष्टि की तिथि स्वीकृति

तिथि आद्याक्षर

अनुबन्ध-2(बी)

यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978

केवल रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1. संविदा की तिथि ..... संविदा की संख्या .....

आयात लाइसेंस सं० ..... दिनांक .....

2. खरीददार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दो) का विवरण (टिप्पणी "ए")	मूल्य	यू०के० दर-सूची वर्गीकरण संख्या (टिप्पणी बी)	क्या उत्पाद यू० के० मूल का है (टिप्पणी सी देखिए) हां या नहीं लिखिए
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल (अनुमानित) संविदा कीमत स्टर्लिंग पौण्ड में :—

4. (घोषणा) मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू०के० में नियोजित किया गया हूं और वैध प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और यह कि उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित .....

पद जिस पर है .....

संविदाकर्ता का नाम और पता .....

.....

.....

.....

.....

दिनांक .....

टिप्पणियां

ए. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रासायन तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए किया जाना है । जिन्हें यू०के० दर सूची के अध्याय 16, 25, 26—35 तथा 37—40 के उपयुक्त उप-शीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

बी. देखिए :—

(1) एच० एम० कस्टम तथा एक्साइज टैरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) ब्रुसेल्स नामनक्लेचर एच० एम० एस० ओ० में रासायनों का वर्गीकरण

सी. (1) या तो पूर्ण रूपेण यू०के० देशी सामग्री से तैयार किया गया उत्पाद या पूर्ण रूपेण या अंश में आयातित सामग्री उपयोग करके उपयुक्त ईएफटीए अर्हकारी संसाधन क्रिया के अनुसार तैयार किया गया उत्पाद "यू०के० मूल" का समझा जाएगा ।

(2) ईएफटीए संसाधन क्रिया निर्यातकों के उपयोग के लिए ईएफटीए सारसंग्रह एच० एम० एस० ओ० की अनुसूची-1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाता है कि "विकल्पी प्रतिशत मापदण्ड" लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त अनुसूची में जहां कहीं शब्द "क्षेत्र मूल" आते हैं उनका तात्पर्य केवल "यू०के० मूल" समझना चाहिए ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए "मूल माल की अनुसूची" (इएफटीए सार संग्रह की अनुसूची-3) लागू नहीं होती है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के अर्हकारी संसाधन क्रिया सूचीबद्ध नहीं है तो समुद्र पार सरकारों एवं व्यवस्थाओं के लिए क्राउन एजेंट, 4, मिलबैंक, लन्दन, एस-डब्ल्यू 1 से सलाह लेनी चाहिए ।

डी. इस घोषणा के लिए यू०के० में चैनल आई लैण्ड तथा आईल ऑफ मैन शामिल है ।

अनुबन्ध–3

साखपत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

नियंत्रक, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा आर्थिक कार्य सहायता लेखा अनुभाग, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–1

विषय:—यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978 के अधीन यू० के० से .....
..... का आयात ।

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० अनुदान के मदे यू० के० से .....का आयात करने के संबंध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं जिनसे आप हमारे बैंकरों के माध्यम से आप द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साखपत्र खोलने के लिए हम प्राधिकरण जारी कर सकें :—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण .....
संख्या और तारीख .....मूल्य (रुपयों में)
.....तिथि जिस तक वह वैध है ।

(ख) लाइसेंस का स्टर्लिंग में मूल्य .....
लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा गणना की गई आयात लाइसेंस में निर्विष्ट की गई मुद्रा विनिमय की दर पर ।

(ग) उन पहले ही दे दिए गए आदेशों का प्रभावी स्टर्लिंग मूल्य जिनके लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किए गए हैं । (प्राधिकार पत्र की संख्याओं और स्टर्लिंग धनराशि का विवरण पत्र संलग्न किया जाना है) ।

(घ) यू० के० संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए अब अलग-अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धनराशि/राशियां (दिए गए आदेश और उसके लिए यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाती है) ।

(ङ) सम्बद्ध यू० के० बैंकर का नाम जिससे साखपत्र स्थापित किया जाना है ।

(च) उस भारतीय बैंक का नाम जिसने बैंक गारंटी की है और जो साखपत्र खोलेगा ।

(छ) स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 31 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार कलक्टर द्वारा विधिवत् निर्णीत बैंक गारंटी जो ..... द्वारा प्रस्तुत की गई है, संलग्न है ।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर और पूरा पता)

अनुबन्ध—4

बैंक गारंटी का प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
द्वारा सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली–1

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति के हेतु जिसमें आगे "सरकार" कहा गया है निम्नलिखित द्वारा आयात किए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए :—

(i) व्यक्ति/साझेदार .....

(ii) जिसके अधीन काम कर रहा है उसका नाम .....

(iii) .....और सर्वश्री .....
.....(नाम और पते)

*सर्वश्री .....एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय .....
राज्य .....में है जिन्हें आगे .....रुपए के लिए प्रदान किए गए आयात लाइसेंस संख्या .....
दिनांक .....के अन्तर्गत "आयातक" कहा गया है, हम एतद्द्वारा गारंटी देते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में सरकार के खाते में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली के नाम दर्शनी हुण्डी जो उक्त तीस हजारी शाखा को केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए अग्रसारित की जाती है, के द्वारा निम्नलिखित धनराशि जमा करने की व्यवस्था करेंगे :—

(1) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साखपत्र प्राधिकरण के अधीन यू० के० बैंकों द्वारा स्टर्लिंग में किए गए भुगतानों को प्रदर्शित करते हुए बीजक के मूल्य के बराबर रुपयों के भुगतान की सूचना और लदान दस्तावेजों की यू० के० बैंकों से प्राप्ति के सात दिनों के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्धारित की गई मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर पर धनराशि, देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 108–आई टी सी (पी एन) 72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 16–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28–1–1972 और सं० 8–आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17 जनवरी, 1976 या वह धनराशि जो बाद में समय-समय पर जारी होने वाली सार्वजनिक सूचना के माध्यम से या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों को जारी किए गए मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से अधिसूचित की जाए और उक्त धनराशि पर यू० के० संभरकों को भुगतान करने की तिथि से समतुल्य रुपया और यू० के० बैंक के खर्चों का भुगतान करने की तिथि तक (दोनों तिथियां शामिल हैं) के समय पर सार्वजनिक सूचना सं० 46–आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 16–6–76 में यथा अधिसूचित पहले तीस दिनों के लिए 9% वार्षिक दर से और 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज ।

(2) ऐसी अतिरिक्त धनराशि जो कि सेवा प्रभार के लिए यदे होने पर सरकार द्वारा मांगी जा सकती है, मांगी जाने के 7 दिनों के भीतर ।

2. आयातकों द्वारा उपर्युक्त भुगतान करने में असफल रहने पर या लापरवाही करने की स्थिति में हम ..... सरकार को उनके द्वारा मांग करने पर ऐसी धनराशि जो ..... रुपये से अधिक न हो (और उस पर उपर्युक्तानुसार ब्याज तथा सेवा प्रभार हो) बिना किसी आपत्ति के चुकाने का वचन लेते हैं और आयातकों की ओर से ऐसी असफलता या लापरवाही के संबंध में और हमारे द्वारा सरकार को देय धनराशि के संबंध में सरकार का निर्णय हमारे लिए अन्तिम और अनिवार्य होगा ।

3. हम ..... सहमत हैं और वचन लेते हैं कि जब तक यथा पूर्वोक्त तुल्य रुपया या कोई अन्य देय धनराशि जो सरकार द्वारा मांगी जाए, सरकार के खाते में जमा नहीं कर दी जाती तब तक आयातकों को पोत परिवहन दस्तावेज रिहा नहीं किए जाएंगे ।

4. हम ..... सहमत हैं और वचन देते हैं कि इस गारंटी को इसके लागू होने के दौरान सरकार को लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे ।

5. इसमें निहित, गारंटी, आयातकों अथवा हमारी संस्था के संविधान में होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी ।

6. सरकार को इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट आयात लाइसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन करने या समय-समय पर आयातकों द्वारा भुगतान करने की अवधि में वृद्धि करने या इसके द्वारा किसी समय तथा समय-समय पर आयातकों के प्रति प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और इस गारंटी में पूर्वोक्त धनराशि के संबंध में सरकार द्वारा कोई भी अधिकार प्रयोग करने की स्वतंत्रता के कारण अथवा आयातकों को दिए जाने वाले समय में परिवर्तन या वृद्धि के कारण अथवा सरकार की ओर से किसी प्रतिबन्ध अधिनियम या छूट अथवा सरकार द्वारा आयातकों पर किसी प्रकार की क्षमा अथवा कोई भी मामला या वस्तु जो कि कानून के अनुसार प्रतिभूतियों से संबंधित हो इस परन्तुक के लिए, हमारे ..... (बैंक का नाम) दायित्वों पर कोई भी प्रभाव डाले बिना हमें ..... हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा ।

इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व ..... रुपये (जमा यथा पूर्वोक्त ब्याज तथा सेवा प्रभार) तक प्रतिबन्धित है और यह तिथि** मास ..... 19 ..... तक लागू रहेगा । हम ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का भी वचन लेते हैं कि जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 16-आई टी सी (पीएन)/72, दिनांक 20 जनवरी, 1972 की शर्तों के अनुसार या समय-समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवश्यक हों । इस तिथि से 6 महीनों के भीतर इस बाण्ड/गारंटी के अधीन लिखित रूप में दावे हो जाने के बाद अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कार्रवाई हो जाने के बाद अर्थात् ..... तक इस गारंटी के अधीन सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इसमें निहित सभी उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और मुक्ति मिल जाएगी ।

भवदीय,

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर और बैंक का पूरा पता

स्थान :

दिनांक :

(बैंक गारंटी एक न्यायालय स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जानी है, स्टाम्प का मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 की धारा 31 को शर्तों के अनुसार समाहर्ता द्वारा निर्णीत की जाएगी ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

** जिन तिथि तक सभी भुगतान पूर्ण हो जाने की आशा है उस तिथि में एक मास जोड़ कर यह तिथि लिखी जाएगी ।

अनुबन्ध–5

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुवान, 1978

भुगतान प्रमाण-पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :—

1. नीचे सूचीबद्ध बीजकों में उल्लिखित भुगतान जो मूल रूप में या प्रतियों के रूप में इस भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ हैं, देय हो गए हैं और संविदा सं० ..... दिनांक ..... के संबंध में निम्नलिखित नाम के संविदाकर्ता ..... और खरीददार ..... के बीच चुकाए जाने हैं और ये भुगतान दिनांक ..... को उक्त संविदाकर्ता की ओर से ..... को हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र में अधिसूचित इस संविदा के ब्यौरे के अनुसार हैं :—

संविदा की बीजक सं०	दिनांक	धनराशि पौण्ड में	माल, कार्यों/ और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट धनराशियों में संविदा प्रमाण-पत्र के पैरा 5,6 या 7 में घोषित धनराशियों की कोई अतिरिक्त विदेशी मात्रा शामिल नहीं है ।

3. मुझे निम्नलिखित नाम के संविदाकर्ता की ओर से इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है ।

हस्ताक्षरित .....
ओहदा .....
संविदाकर्ता जिसकी ओर से हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, का नाम और पता .....
.....
दिनांक .....

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिए चनल आइलैण्ड और आइल आफ मैन यू० के० में शामिल है ।

अनुबन्ध–6

बैंक गारंटी मुक्त कराने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

सेवा में,
सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंण्ट स्ट्रीट, (संसद मार्ग),
नई दिल्ली–1

महोदय,

हम गारंटी संख्या ..... दिनांक .....
धनराशि रुपये ..... के अधीन

अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत जानकारी इस आवेदन के साथ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह बैंक गारंटी मुक्त की जाए और हमें लौटा दी जाए :—

1. आयात/लाइसेंसधारी जिसकी ओर से गारंटी प्रस्तुत की गई थी का पूरा नाम और पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक, मूल्य और उसके अधीन आयात के लिए अनुमति पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

3. साख पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण (णों) के ब्यौरे :—

(क) पत्र संख्या और दिनांक

(ख) प्राधिकरण की धनराशि

(ग) यू० के० अनुदान संख्या

3. आयातों और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक साख पत्र प्राधिकरण के लिए अलग-अलग दिए जाने हैं) ।

(क) खोले गए साख पत्र के ब्यौरे (संख्या, दिनांक, मूल्य और संभरक का नाम)

(ख) प्रत्येक साख पत्र से संबंधित बीजक की संख्या और दिनांक

(ग) स्टर्लिंग में बीजक की धनराशि (वास्तविक)

(घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि

(ङ) संबंधित चालान संख्या और दिनांक और राजकोष/बैंक का नाम

(च) यदि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा है तो डिमान्ड ड्राफ्ट संख्याएं और दिनांक और जिस पत्र के साथ डिमान्ड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली को भेजा गया था उसकी संख्या और दिनांक ।

5. प्रत्येक साख पत्र प्राधिकरण में उपयोग की गई और उपयोग न की गई शेष धनराशि (स्टर्लिंग)

2. हम प्रमाणित करते हैं कि :—

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण (णों) में उपलब्ध .....पौ० की शेष धनराशि उपयोग नहीं की गई है/उपयोग नहीं की जाएगी ।

अथवा

प्राधिकरण (णों) के अधीन कोई साखपत्र नहीं खोला गया था और प्राधिकरण (णों) समाप्त हो गया ।

अथवा

प्राधिकरण (णों) पत्र के आधार पर खोला गया साख पत्र बिना उपयोग किए समाप्त हो गया ।

और

(2) विषयाधीन गारंटी के अधीन हमारे दायित्व विधिवत पूरे हो गए हैं ।

3. हम अनुरोध करते हैं कि बैंक गारंटी कृपया मुक्त की जाए और रद्द करने के लिए हमें लौटा दी जाए ।

भवदीय,

बैंक की ओर से प्राधिकृत एजेंट

*जो भी लागू है ।

971 GI/78—2

अनुबन्ध—7

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1978 के संबंध में उपयोग की रिपोर्ट का प्रपत्र

1 अप्रैल से 30 जून तक

1 जुलाई से 30 सितम्बर तक

1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक

1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के लिए उपयोग रिपोर्ट

जो भाग लागू नहीं होगा उसे काट दिया जाएगा । रिपोर्ट तिमाही के अन्त में तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर समर्पित और उपलब्ध कराई जाएगी ।

(प्रत्येक के लाइसेंस के संबंध में अलग से प्रस्तुत की जानी है)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम

2. यू० के० क्रेडिट के ब्यौरे

3. आयात लाइसेंस

संख्या और दिनांक	संविदा की सं० और दिनांक और संभरक का नाम	पौण्ड में मूल्य	सहायता लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पत्र की या ओडीए के लिए सी ए ओ को भेजे गए संभरण की संख्या और दिनांक

4. आयात लाइसेंस का मूल्य (रुपये और स्टर्लिंग दोनों में) — — —

5. वित्त मंत्रालय को अब तक अग्रसारित किए गए पूर्ण संविदा संबंधी दस्तावेजों का मूल्य (कृपया संविदा संख्याओं और सहायता लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए प्रा० करणों की मूल्य संख्या और तिथियों का उल्लेख कीजिए) I, II, III

कुल

6. यू०के० संभरकों को किए गए भुगतान (अद्यतन)	संभरकों का नाम	स्टर्लिंग में चुकाई गई कुल धनराशि

7 पहले ही अनुमोदित कर दी गई संविदाओं के संबंध में जो भुगतान अभी करने बाकी हैं, जिस वर्ष और तिमाही में भुगतान करने की संभावना है उसे निर्दिष्ट किया जाए I, II, III

कुल

8. यू० के० संभरकों को भविष्य में जो आदेश देने का इरादा है, उनका मूल्य -वही-

9. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 96-ITC(PN)/78

New Delhi, the 23rd December, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject :—Licensing conditions for imports from U.K. under UK/India Mixed Project Grant, 1978.

No. IPC/39/1/76-77.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under UK/India Mixed Project Grant, 1978, as given in the Appendix to this Public Notice, are notified for information.

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX

PUBLIC NOTICE NO. 96 ITC(PN)/78

Licensing conditions for Imports from the UK under UK/India mixed project grant 1978

I-GENERAL CONDITIONS

1. SUPERSCRIPTION AND CODE

The import licence will bear the superscription "UK/India Mixed Project Grant 1978". In addition, each import licence will also bear the Code "S/KK".

2. INTIMATION OF IMPORT LICENCE PARTICULARS

Within a fortnight of the receipt of the import Licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (Section Officer—WE II SEC.) the details of the import licence viz. complete number and date; its value, and the superscription thereof, together with a photostat copy of the import licence. A copy of the intimation alongwith a photostat copy of the import licence should also be endorsed to the Controller of Aid Accounts & Audit (CAA&A), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Sansad Marg (Parliament Street), New Delhi.

3. VALIDITY OF THE IMPORT LICENCE

The import licence will be issued with an initial validity period of 24 (twenty-four) months. This period can be further extended if there is adequate justification to do so.

4(a) REMITTANCES

No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. However, the UK Bank charges may be remitted through the normal banking channels.

4(b) INDIA AGENTS COMMISSION

Any payment towards the Indian Agent's Commission should be made only in Indian Rupees to the Agents in India. Such payments will, however, form part of the licence value and will, therefore, be charged to the import licence.

5(a) ORDERING PERIOD

Firm orders on CIF or C & F basis must be placed within a period of four (4) months from the date of issue of the import licence.

5(b) If firm orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the Licensing Authority immediately during the fifth month giving the reasons for the delay in placing firm orders and indicating the date by which the firm orders would be placed and seeking extension in the period for ordering, as necessary. Such requests will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further Maximum period of two months. If, however, extension is sought beyond 6 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE II Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

NOTE : The Firm Orders in this context mean, placement of orders on the UK Suppliers, and the latter's confirmation in writing thereof within the ordering period.

5(c) It should be noted that unless ordering is completed within four months or the extended period allowed by the licensing authority, as the case may be, the authorised Dealers in foreign exchange will not permit the establishment of Letter of Credit, or deposit of rupee equivalent.

(See Section IV below.).

6. PAYMENTS

All payments must be completed within the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted.

II-SPECIAL POINTS TO BE INCORPORATED IN THE ORDERS/CONTRACTS OR OTHERWISE KEPT IN VIEW

7(a) ORIGIN OF GOODS

While placing orders/contracts which must be placed only on the Suppliers in the U.K. (which expression in this connection includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly produced or manufactured in the United Kingdom, or in the case of Chemicals and Allied Products are declared to be of UK origin on the form attached as Annexure II(B).

(b) WORKS & SERVICES

When the Contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods it must similarly be ensured by a suitable provision therein that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K.

c(i) NON-UK CONTENT CRITERIA

Import licences under the UK/India Mixed Project Grant 1978 will normally be valid only for goods and/or materials procured and produced or manufactured in the United Kingdom.

c(ii) The Indian Importer is advised in his own interest to ascertain from the UK suppliers beforehand whether the proposed imports contain any non-UK element, and if so, the percentage thereof. Under no circumstances should he enter into a firm commitment or contract with a UK supplier without specifically ascertaining this point.

c(iii) When on such an enquiry it is revealed that the goods proposed to be imported have some non-UK element, the matter must be brought to the notice of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE II Section, New Delhi, for confirmation whether the importer should proceed with the finalisation of his order/contract with the prospective UK supplier. In this connection it may be mentioned that in exceptional cases non-UK element upto a limit of 20 per cent of the FOB value of the goods in a single contract may be agreed to be financed under the UK/India Mixed Project Grant 1978, provided the non-UK content forms an integral part of the finished products; and the non-UK origin material cannot be used independently of the finished products, proposed to be imported. For this purpose the Indian importer should apply for a specific approval enclosing a copy of the Contract Certificate, duly signed by the UK suppliers, in the prescribed form (Annexure II or Annexure II(B)—as is appropriate) to the Department of Economic Affairs (WE II Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

(d) PROVISION FOR CONTRACT APPROVAL

A clause should specifically be included in the contract to the effect, that the contract is subject to and will become effective only on approval by the Government of India and the Government of the United Kingdom.

(e) DOCUMENTATION AND PAYMENT PROCEDURE

The documentation requirements mentioned in Section III and V below and the Payment Procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III. CONTRACT ACCEPTANCE

8. (a) NOTIFICATION OF CONTRACTS AND AMENDMENTS

Immediately on placement of orders on the UK supplier, the importer should furnish copies of the contract to the Administrative Ministry and the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(b) Within a fortnight of approval of contract by the Government of India in respect of each order placed on the foreign supplier, the licensee should forward four copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by five copies of the contract certificate (in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate) duly signed by the U.K. supplier, to CAA&A UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

NOTE : As no payments can be made unless the contract is duly approved by the U.K. Government, it is most imperative for the licensee to ensure that copies of contract/notification of contract along with supplier's contract certificates are forwarded to the Ministry of Finance (C.A.A. & A) in the manner stated above at the earliest.

9. (a) CONTRACT APPROVAL

While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the U.K Grant are clearly noted in the documents.

(b) The CAA&A, Ministry of Finance, will arrange through the Chief Accounting Officer, High Commission of India London (CAO, London) to file a set of the documents with the U.K. Government for obtaining their approval and acceptance to the payments under the contract to be financed under the UK Grant. As soon as possible after the decision of the UK Government is known, the U.K. suppliers as well as the licensee will be informed of the same direct by the CAO London under advice to the Ministry of Finance.

10. AMENDMENT TO CONTRACT

If, at any time, a contract (being a contract in respect of which acceptance of the UK Government has been obtained or is pending) is amended, or if liability is to be incurred thereunder to a greater or lesser amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should obtain the approval of the Government of India and thereafter promptly forward the relevant Supplementary or revised documents, copies of amendments to the contracts and revised contract certificate to C.A.A. & A., New Delhi in order to enable him to notify the same to the U.K. Government and to obtain their acceptance. As soon as the acceptance of the amendment to contract/order is received from the U.K. Government, the licensee and the Ministry of Finance will be notified by the CAO London in the same manner as for the original contract.

11. WHEN A CONTRACT IS WITH INDIAN AGENT

If the contract is with the Indian Agent of the foreign suppliers, it should indicate the names of the UK suppliers to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract, which alone will qualify for payment under the UK Grant. Copies of such contracts (or of contracts placed by the Indian Agents with the UK suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. PAYMENT TO UK SUPPLIERS—LETTER OF CREDIT PROCEDURE

12. SPECIAL PAYMENTS PROCEDURE

The payment procedure normally applicable is laid down below. In special cases a different payment procedure may be laid down by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi and in that case the import licence will be issued subject to such special procedure.

13. APPLICATION FOR LETTER OF AUTHORISATION

After receipt of intimation regarding Contract acceptance from CAO London (see Section III above), the licensee should apply to the CAA & A, New Delhi for a Letter of Authorisation to any of the Authorised Bank dealing in foreign exchange for opening a Letter of Credit in favour of the UK Suppliers with one of the correspondant Banks in the U.K. The request for the letter of authorisation should be in the form given as Annexure III and should be accompanied by a bank guarantee (in the form given in Annexure IV) obtained from an authorised dealer in foreign exchange in India. The first request for Letter of Authorisation should be accompanied by a photostat copy of the import licence.

14. (a) BANK GUARANTEE

The Bank Guarantee should be for an amount not less than the rupee equivalent of the value in sterling of the proposed letter of authority.

(b) The rate of exchange to be applied for the rupee equivalent, will be calculated at the Composite Rate of Exchange on the basis of the formula given in Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dt. 17-1-76 or any other Public Notice that may be notified by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi from time to time and by the Reserve Bank of India through the Exchange Control Circulars issued from time to time to the Authorised Dealers in Foreign exchange.

NOTE : No Bank Guarantee is required from Public Sector Projects. In such cases the Letter of Credit will be opened through any Branch of the State Bank of India (including its subsidiaries) or any Branch of any of the Nationalised Banks.

15. LETTER OF AUTHORISATION

If the application is found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, will issue an Authorisation for the requisite amount to the Indian Exchange Bank concerned, with a copy to the importer and SO WE II Section incorporating inter-alia the Contract Approval number of the U.K. Government. The Ministry of Finance will also advise the U.K. Bank concerned and the CAO London suitably. The advice to the UK Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned along with their copy of the Authorisation Letter, who should then transmit it to the UK Bank while opening the Letter of Credit.

16. (a) VALIDITY OF LETTER OF AUTHORISATION

The Letter of Authorisation will be valid for a period of one month from the date of its issue. Therefore, the letter of Credit should be opened within a period of one month from the date of issue of the Authorisation, under intimation to the Ministry of Finance, failing which the Authorisation will lapse.

(b) LETTER OF CREDIT

The letter of credit should detail the conditions to which the licence is subject; should provide for payment to the suppliers on the submission of all the documents detailed in section V below; should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the conditions that the correspondent Bank in the U.K. after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement therefor from the State Bank of India London, through the CAO London. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of Letter of Credit must accord completely with the Authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

(c) The Letter of Credit should be clearly marked with the Grant title and with the UK Government's Contract approval number.

(d) RESPONSIBILITY OF INDIAN EXCHANGE BANK

While opening letter of Credit, the authorised Exchanged Bank in India should, on behalf of the importer also, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of

Credit and ensure that the requirements of documentation detailed in para (17 (Below) are noted and complied with by the UK supplier.

V. DOCUMENTATIONS

17. DOCUMENTS

The importer is responsible to see that the UK supplier completes and submits the documents detailed below to the UK Bank at the time of claiming payment for the goods supplied :

(i) The original invoice, with four photocopies or copies by any other process. (The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (FOB, C&F, CIF and F&A) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.)

(ii) One copy (or photostat) of ocean or charter Bill of Lading or airway Bill or parcel post receipt (The Bill of Lading should either indicate or be accompanied by the carrier's statement of charges in whatever currency it is paid).

(iii) Four copies of the payment certificate in the form of ANNEXURE V (not required in respect of Contracts for which a contract certificate (Chemicals) in the form given as ANNEXURE II(B) has been provided), for this purpose, five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the Letter of Credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

Each document must show the Grant title, details of import licence and if possible, the particulars of the Letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance.

18. DESPATCH OF DOCUMENTS

After the payment is made to the UK Supplier, the correspondent Bank in the UK will send by fast air mail the original negotiable set of documents to the Indian Exchange Bank concerned.

19. UK BANK CHARGE

The Indian Exchange Bank will remit the Bank charges to the UK Bank and recover the same from the importer.

20. REIMBURSEMENT TO UK BANK

The UK Bank will, simultaneously, claim the reimbursement, of the amount(s) paid by it to the UK Supplier, from CAO London and will submit for this purpose, invoices received from the Supplier and payment certificate as in ANNEXURE V, where required. The CAO London will arrange payments to the UK Bank through State Bank of India, London.

VI. INDIAN BANKS' RESPONSIBILITY FOR RUPEE DEPOSITS

21. RECOVERY FROM IMPORTER

Within 7 (seven) days of the receipt of the advice of payment along with shipping documents from the UK correspondent Bank, the Indian Exchange Bank concerned shall collect from the importer, the cost of imports in rupees at the "Composite rate of exchange" [see para 14(b) above] plus interest charges at the rate notified in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76, for the period from the date of payment to the UK Suppliers by the UK Bank to the date of deposit of the rupee equivalent into the Government account (both dates inclusive). The instruction in this regard contained in RBI Bombay AD circular No. 22 of 18-6-77 should be strictly adhered to.

22. The amount referred to above should be deposited by the Indian Exchange Bank to the credit of the Government of India in the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or if this is not feasible, should be remitted by means of a Demand Draft drawn on and in favour of the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi. Rupee deposit should be made in the revised form of the treasury Challan, published as annexure to Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74, as amended vide Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-76. Thereafter the treasury challan evidencing the deposit should be sent by Registered Post to the CAA&A, New Delhi indicating reference to and enclosing copies of the invoice shipping documents and the Authorisation of that Department to which the transaction relates.

The Indian Exchange Bank concerned shall also arrange to deposit in the same manner such additional amounts on account of service charges as may be demanded by the Government of India, within 7 (seven) days after such demand.

The Lincensee should also fill in, in duplicate, the Form's, incorporated as Annexure II to Public Notice No. 184-ITC (PN)/68, dated 30th August 1968 and present the same to their bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice.

23. HEAD OF ACCOUNT FOR RUPEE DEPOSIT

The amounts including interest charges to be deposited to the Credit of Government of India shall be creditable under the following Head of Account :

"K—DEPOSITS AND ADVANCES—843 CIVIL DEPOSITS—DEPOSITS FOR PURCHASE ABROAD—DEPOSITS UNDER UK/INDIA MIXED PROJECT GRANT 1978".

ACCOUNT OFFICER

And the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (DEA), Delhi shall be shown as the Accounts Officer who will adjust these credits.

24. RELEASE OF BANK GUARANTEE

After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance are fulfilled, the Indian Exchange Bank concerned (not the importer) can apply to the CAA&A, New Delhi in the form laid down as ANNEXURE VI for the release of the Bank Guarantee.

VII. REPORT ON THE UTILISATION OF THE IMPORT LICENCE

25. REPORTING

A quarterly report, in the form attached as ANNEXURE VII showing the utilisation status of the licence should be furnished on the 15th of the month following the quarter to which it relates to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE II Sec.) New Delhi with a copy to the Controller of Aid Accounts & Audit (Department of Economic Affairs) UCO Bank Building, Sansad Marg, (Parliament Street), New Delhi.

VIII. MISCELLANEOUS

26. REFUNDS FROM UK SUPPLIERS

If any money is received by the licensee from the UK suppliers or a Guarantor (insurance company etc.) as a refund or in settlement of insurance claim or otherwise, such amounts should be refunded by the supplier to the concerned corresponded bank in the UK (from which the payment was initially made to the U.K. supplier) with the instructions to refund the amount immediately, in turn, to CAO London for crediting the Grant Account. After the Grant account is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of a claim therefor from the importer. If any refund is received after the closure of the Grant the same will have to be made by the supplier direct to the importer.

27. REPORTING OF REFUNDS

As and when any such refund is received, a report thereof should be made to the Ministry of Finance with a copy to the Department of Industrial Development, Foreign Exchange Section, Udyog Bhavan, New Delhi and CAA&A.

28. NOTIFICATION SPECIAL CONDITIONS PROVISIONS TO SUPPLIER.

The licensee should apprise the Supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

29 DISPUTES

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

30 FUTURE INSTRUCTIONS

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Agreement.

31. BREACH OR VIOLATION

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate section under the imports and Exports (Control) Act 1947 and the orders issued thereunder.

IV—LIST OF ANNEXURES

1. Annexure I Notification of Contract
2. Annexure II Contract Certificate
3. Annexure II(B) Contract Certificate (chemicals)
4. Annexure III Form of application for Letter of Credit Authorisation
5. Annexure IV Form of Bank Guarantee
6. Annexure V Payment Certificate
7. Annexure VI Form of application for the release of Bank Guarantee
8. Annexure VII Form for reporting Ordering and Utilisation of the Import Licence.

ANNEXURE I

NOTIFICATION OF CONTRACT
UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT 1978

To : The Crown Agents for Overseas Governments and Administrations 4 Millbank, London SW 1

PROJECT————————

Notification of Contract No.....
The following are details of a contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above grant.

1. Name and address of United Kingdom Contractor :
2. Date of Contract :
3. Name of Indian Purchaser :
4. Short description of goods : and/or works or services :
5. Value of Contract :
6. Terms of Payments :

Signed on behalf of the Government of India
Date.....

ANNEXURE II

UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT 1978
CONTRACT CERTIFICATE Import Licence No.....

Date————————

1. Date of Contract 2. Contract No.....

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....
.....
(If a number of items are to be supplied, a detaled list should be appended to this certificate).

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C & F, or FOB).....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED
(If the contractor is experting agent only, the information requested should be obtained from manufactured)

5. Description of goods to be supplied to Purchaser | Price | UK Tariff/TRADE CODE No.
....
....

6. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture.
   a. % FOB value.....
   b. Description of items and brief specifications.....

7. If any raw material or components used originated from abroad, eg. copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc but have been purchased in the United Kingdom by the Contractor for this contract, specify :—
   a. % FOB value.....
   b. Description of items and brief specifications.....

8. IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED
   State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by
   a. Your firm (site engineers, charges, etc).....
   .....
   b. Local contractor .....

9. State reasons for use of foreign items mentioned in paragraphs 6, 7 or 8 above e.g. No UK equivalent, available integral part of equipment etc. .....

10. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6,7, or 8 above.....

11. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractor other than these specified in paragraphs 6, 7, 8 and 9 above.

Signed .....
Position held .....
Name and Address of Contractor .....
.....
.....

Date .....

Note : For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Island and the Isle of Man.

Contractors should note that goods should not be manufactured until acceptance has been notified.

FOR OFFICIAL USE ONLY PAYMENTS
NAME OR NUMBER OF PROJECT..........

Date Amount No. Initials

Amount Committed	Date of Entry	Acceptance Date Initials

ANNEXURE II(B)

UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT, 1978

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract............Contract No. ....
Import Licence No.................. Date..............

2. Description of Product (s) to be supplied to Purchaser (Note A)	PRICE	UK Tariff Classification No. (Note B)	Is the Product of UK Origin, (See Note C) State 'Yes' or 'No'
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

3. Total (Estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling..
4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed ....
Position held..................
Name and Address of Contractor ....
....

Date...................... ....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products which are covered by the appropriate a sub-heading of Chapters 15, 25, 26—35, and 37—40 of the UK Tariff.

B. SEE :—

i. HM Customs and Excise Tariff HMSO.

ii. Classification of Chemicals in Brussals Nomenclature HMSO

C. i. A Product is regarded as of 'UK orgin' if made either wholly from indigenous UK materials OR according to the appropriate EFTA qualifying p cess using imported materials wholly or in part.

ii. The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA Compendium for the Use of Exporters', HMSO.

iii. For the purpose of this declaration it is to be emphasised that the "alternative percentage criterion" DOES NOT APPLY.

iv. The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

v. For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

vi. If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Crown Agents, for Oversea Governments and Administrations, 4 Millbank, London SW1.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation

To

The Controller of Aid Accounts & Audit.,
Economic Aid Accounts Section,
Ministry of Finance,
(Department of Economic Affairs),
UCO Bank Building,
Parliament Street,
New Delhi.

Subject :-Import of ....from U.K. Under UK/India Mixed Project Grant 1978.

Sir,

In connection with the import of...............from U.K. against the above UK Grant we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you :—

(a) Particulars of Import Licence.
Full No. & Date Value (Rs.) Date upto which valid.

(b) Sterling value of licence
(Calculated at the rate of exchange indicated in the import licence by the licensing authorities).

(c) Progressive Sterling value of the orders already placed for which L/As have been obtained (A Statement of LA nos. & Sterling amount to be enclosed).

(d) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifiying the name and address of the UK supplier/suppliers and the amount/s of authorisation required separately against each supplier (copy of orders placed and UK suppliers acceptance thereof to be attached).

(e) Nameof UK Correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

(f) Name of the Indian Bank which has furnished the bank Guarantee and which will open the Letter of Credit.

The Bank Guarantee furnished by (Name of Bank) and which has been duly adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of section 31 of the Stamp Act, 1899, is attached.

Yours faithfully,

(Signature of Licensee and full address).

ANNEXURE IV

FORM OF BANK GUARANTEE

To

The President of India
Through Secretary to the Govt. of India
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs
New Delhi.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agree to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by

*(i) ————————individual/partners.

(ii) ————————working under the name.

(iii) ————————and style of M/s.————————.

(name(s) & address(s)

*Messrs————————a company having its registered office at————————in the state of————————hereinafter referred to as the importers' under Import Licence No.——dt.——granted for——Rupees, we,————hereby guarantee that we shall arrange deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/ State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or by means of Demand Draft Drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi (for credit to the Central Government Account) to be forwarded to the said Tis Hazari Branch—

(i) Within seven days of the receipt of advice of payment with shipping documents, from the UK Banks, of rupee equivalent of the invoiced price representing the sterling disbursements made by the UK Banks, under the letter of credit authorisation issued by Ministry of Finance, at the composite rate of exchange prescribed for this purpose by the C.C.I&E. vide Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21 July, 1972 and No. 8-ITC(PN)/76 dated the 17th January 1976 or as notified from time to time through subsequent Public Notice or by the Reserve Bank of India through Exchange Control Circulars to the Authorised Dealers in foreign exchange, along with interest thereon at 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days from the date of payment to UK suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and UK bank charges (both dates inclusive), as notified in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976.

(ii) Within seven days of the demand by the Government of such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We————————undertake to pay to the Government on demand and without demur such sum not exceeding————————rupees (plus interest and service charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the importers failing or neglecting to make any of the above mentioned such payments and the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us hereunder shall be final and binding on us.

3. We————————agree and undertake not to release shipping documents to the Importers until after the rupee equivalent as foresaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We,————————agree and undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

5. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank.

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import Licence detailed above or to extend the time for payment by the Importers from time to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercise by the Government of the liberty with reference to the amount of aforesaid or any reason of any such variation or extension of time being given to the Importers of any forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us———— Bank from our such liability.

Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs.————————(plus interest and service charges as aforesaid) and it will remain in force till the**———— day of————month)————197 . We also undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of CCI&E's Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/76 dated 21st July, 1972 and Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17th January, 1976 or as notified from time to time. Unless claim under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto————all Government's rights under this bond/guarantee shall be forefeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Yours faithfully,

Signature of the Authorised

Officer of the Bank and Bank's full address.

Place————

Date————

(The Bank Guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899)—

*Strike out which is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalised.

ANNEXURE V

UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT 1978

PAYMENT CERTIFICATE

I hereby certify that

(i) The payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate have been made or fall due and are due to be made in respect of Contract No. ..... date.....between the contractor named below and .....
.....
(Purchaser) .....
and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on .....

Contractor's Invoice No.	Date	Amount	Short description of goods, works and/or services.

(ii) The amounts specified in paragraph 1, do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 5, 6, or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below.

Signed .....
Position held .....
For and on behalf of .....
Name and Address of Contractor .....
.....
Date .....

NOTE : For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE VI

Form of Application for release of Bank Guarantee.

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building,
Parliament Street, (Sansad Marg),
New Delhi.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposit made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No. .....dated.....for an amount of Rs. .....with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer/licencee on whose behalf the bank guarantee was furnished.

2. The Import Licence No, date, value and brief description of the commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Letter No. & Date.
(b) Amount of authorisation.
(c) U.K. Grant No.

4. Particulars of Imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation).

(a) Particulars of Letters of Credit opened (No., date, value and the supplier's name).

(b) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.

(c) Amount of invoice (net in sterling).

(d) Amount of rupee deposit.

(e) Relative challan No. & date and the name of Treasury Bank.

(f) If by demand draft, No., & date of the demand draft and the No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (sterling) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that :

(1) *That balance amount of £ .....available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

or

No letter of credit was opened under the authorisation(s) lapsed.

or

The letter of credit was opened against the authorisation letter(s) expired unutilised and

(2) Our obligations under the bank guarantee in question have been duly discharged.

III. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,
Authorised Agent for and on behalf of the Bank

*Whichever is applicable.

ANNEXURE VII

FORM OF UTILISATION REPORT IN RESPECT OF U.K./INDIA MIXED PROJECT GRANT 1978

Utilisation report for the period of 1st April to 30th June
1st July to 30th September
1st October to 31st December
1st January to 31st March

The portion not applicable will be deleted. The report will be rendered and availability at the end of the quarter by the 15th of the month following the quarter.

(to be furnished separately in respect of each licence)

1. Name of the Importing Firm

2. Particulars of U.K. Grant

3. No. & Date of the Import Licence.

No. & Date Contract & the name of supplier.	Value in £	No. & date L/A issued by CAA or of transmission to CAO for approval of ODA

4. Value of the Import Licence. (Both in rupees & Sterling)

5. Value of the complete contracting documents forwarded so far to the Ministry of Finance (Please give details of Contract Nos. & value issued by Controller of Aid Accounts).
(i)
(ii)
(iii)
Total

6. Payments made to the U.K. Suppliers Up-to-date).
Name of Suppliers
Total amount Paid in sterling.

7. Payments yet to be made in respect of the contracts already approved. The years & the quarters in which the payments are likely to be made may be indicated.
(i)
(ii)
(iii)
Total

8. Value of further orders intended to be placed on U.K. Suppliers.
-do-

9. Surrenders, if any.

Signature of the
authorised officer of the Importing Firm.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979